वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरही में नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 1413 खसरा क्रमांक – 468/1 के रकबा 6.50 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 13/09/2022
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, अटल नगर/ नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–922/2074 रायपुर, दिनांक 13/09/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः– **कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु TRIBAL DEVELOPMENT KANKER द्वारा Establishment of Eklavya Modern Residential School, At Village Surhi, Tehsil-Narharpur, District North Bastar Kanker (C.G.) हेतु क्षेत्रफल 6.50 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत।**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/SCH/ 153248/ 2022**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./ 2022/ 2346 दिनांक 17.08.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 04) – आवेदनकर्ता सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 1413 खसरा क्रमांक – 468/1 के रकबा 6.50 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 05) – वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/SCH/ 153248/ 2022** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.03.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये कुल 24,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 06) – प्रकरण में कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र नरहरपुर परिक्षेत्र में वनखण्ड सुरही के नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 1413 खसरा क्रमांक – 468/1 के रकबा 6.50 हे. में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन हेतु वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 07) – प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 08 से 09) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 10 से 15) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 23) – प्रपत्र – 4 में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 1413 खसरा क्रमांक – 468/1 के रकबा 6.50 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य के लिए प्रशासकीय लागत 20.00 करोड़ रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 25) – कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि रकबा 6.50 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने विद्यार्थियों में शैक्षणिक मानसिक शारीरिक व सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रयालय, नई दिल्ली के सहयोग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा किया जा रहा है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 27) – प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – प्रस्तावित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु प्रस्तावित वन नारंगी रकबा 6.50 हे. भूमि की मांग न्यूनतम है तदाशय का यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, कांकरे एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 33) – आवेदित क्षेत्र में कांकेर वन मंडल अंतर्गत 519 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 34) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35 तक) – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 71) – आवेदित वन भूमि 6.50 हे. के एवज में पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के दुर्गुकोंदल के राजस्व भूमि रकबा 6.500 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 72 से 74) – आवेदित वन भूमि 6.50 हे. के एवज पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के दुर्गुकोंदल के राजस्व भूमि रकबा 6.500 हे. राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 75 से 76) – वन मंडलाधिकारी कांकेर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 77) – वन मंडलाधिकारी कांकेर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 78) – वन मंडलाधिकारी कांकेर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 79) – वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 80) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 81) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 82) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 83) – प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 84 से 97) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, कांकेर द्वारा दिनांक 25.06.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 17.08.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 98) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 128) – सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 1413 खसरा क्रमांक – 468/1 के रकबा 6.50 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सुरही का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 129) – कांकेर जिले कुल वन भूमि 3686.685 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.सं.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 130) – कांकेर वन मंडल अंतर्गत 126.569 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 131) – कांकेर वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 132) – कांकेर वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 133) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 97 से 134 से 143) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कांकेर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 28.12.2021 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 144ए) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधी कलेक्टर कांकेर का दिनांक 25.02.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 145) – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 146 से 147) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 148) – सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 1413 खसरा क्रमांक – 468/1 के रकबा 6.50 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र में नारंगी वन भूमि की दशा पुनरूत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवक्ता की नहीं है, जो प्राकृति (GEO-ECOLOGICAL) कारणों से है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 149) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी, कांकेर एवं आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 150) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 153) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 154) – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 155) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 156) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 3 प्रतियों में

3. टाईम लाईन

4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–922/ 2079 रायपुर, दिनांक 13/09/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी,** कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़
13-9-22